उद्योग मैसर्स इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि0 (बल्क पेट्रोलियम डिपो), नूरपुर, तहसील आंवला, जिला बरेली में अतिरिक्त टैंकेज और टैंक लॉरी भरने की बे का निर्माण सम्बद्ध सुविधाओं के साथ पेट्रोलियम उत्पादों के संग्रहण और भरने की क्षमता में वृद्धि और मौजूदा टैंकों में उत्पादों के परिवर्तन की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनॉक 08.10.2018 कों सम्पन्न लोक सुनवाई का कार्यवृत्त :–

उद्योग मैसर्स इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि0 (बल्क पेट्रोलियम डिपो), नूरपुर, तहसील आंवला, जिला बरेली में अतिरिक्त टैंकेज और टैंक लॉरी भरने की बे का निर्माण सम्बद्ध सुविधाओं के साथ पेट्रोलियम उत्पादों के संग्रहण और भरने की क्षमता में वृद्धि और मौजूदा टैंकों में उत्पादों के परिवर्तन की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

उक्त उद्योग की स्थापना की दृष्टि से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जल वायु परिवर्तन मंत्रालय में आवेदन किया गया है। पर्यावरण वन एवं जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी लोक सुनवाई अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 में निर्धारित प्रकिया के अन्तर्गत लोक सुनवाई हेतु आम सूचना उक्त प्रस्तावित उद्योग के सम्बन्ध में विभिन्न दैनिक समाचार पत्रों क्रमशः अमर उजाला में (हिन्दी में) दिनांक 08.09.18 एवं हिन्दुस्तान टाइम्स (अंग्रेजी) में दिनांक 08.09.18 के संस्करण में आम जनता से पर्यावरण सम्बन्धी आक्षेप/सुझाव/आपत्ति आदि प्रकाशन की तिथि से 30 दिन कें अन्दर दर्ज कराने हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित करायी गयी थी तथा लोक सुनवाई दिनांक 04.08.18 को किये जाने की तिथि जिलाधिकारी महोदय, बरेली द्वारा नियत की गयी थी, जो कि संलग्नक–1, 2 एवं 3 पर संलग्न है।

उक्त परियोजना की स्थापना सम्बन्धी प्रस्ताव/निष्पादन सार, जिलाधिकारी बरेली कार्यालय, जिला उद्योग एवं प्रोत्साहन केन्द्र, बरेली, क्षेत्रीय कार्यालय उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली, पर्यावरण निदेशालय, विनीत खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय, टी0सी0–12 वी, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ के कार्यालय में जन सामान्य के अवलोकनार्थ संरक्षित रखाये गये थे। लोक सुनवाई हेतु गठित पैनल के सदस्यो के अतिरिक्त प्रस्तावित उद्योग के आस–पास क्षेत्र के जन सामान्य भी उपस्थित थे, जिसकी उपस्थिति संलग्न है (संलग्नक–4)

लोक सुनवाई हेतु निर्धारित स्थल पर लोक सुनवाई की प्रकिया में अध्यक्ष के रूप में मंचासीन श्री सुल्तान अशरफ सिद्दीकी, विशेष भूमि अध्यप्ति अधिकारी कार्यालय जिलाधिकारी, बरेली की अनुमति से निर्धारित समयानुसार प्रारम्भ की गयी।

प्रस्तावित उद्योग के प्रतिनिधि द्वारा सर्व प्रथम लोक सुनवाई हेतु उपस्थित पैनल के सदस्यों एवं आस–पास के जन सामान्य का स्वागत किया गया।

उक्त प्रस्ताव पर पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं एवं परियोजना पर विस्तृत प्रकाश डालने हेतु क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली द्वारा उद्योग के पर्यावरण परामर्शी को आमन्त्रित किया गया।

पर्यावरण परामर्शी श्री नीलेश अग्रवाल द्वारा अवगत कराया गया कि इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि0 की स्थापना वर्ष 1997 में की गयी थी और यह इकाई 55 एकड जमीन पर स्थापित की गयी है। यहां पर पेट्रोलियम उत्पादों को इक्ट्ठा करने और उसको विस्तारीकरण करने का कार्य किया जाता है। जिसमें 02 टैंक क्षमता 6800 कि0ली0 पेट्रोल तथा 02 टैंक 15000 कि0ली0 डीजल का स्थापित किया जायेगा। भारत सरकार के निर्देशों के मुताबिक, बायो–डीजल और इथेनॉल मिश्रण क्रमशः एचएसडी और एमएस में चरणबद्ध तीरके से 5 से 20 प्रतिशत के विभिन्न अनुपात में किया जाना प्रस्तावित है। पर्यावरणीय परामर्शी द्वारा परियोजना की आर्थिक आवश्यकताओं पर प्रकाश डालते हुए अवगत कराया कि परियोजना से आस–पास

के क्षेत्रो में रोजगार के अवसर सृजित होगे तथा लोगो की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा एंव राज्य के लिए राजस्व वसूली में वृद्धि होगी जो जनपद के आर्थिक विकास के लिये आवश्यक है। पर्यावरणीय परामर्शी द्वारा अवगत कराया कि पर्यावरण प्रबन्धन योजना के अंतर्गत होने वाली गतिविधियों के दौरान निम्नलिखित योजना प्रस्तावित है–परिसर के अंदर हरित पट्टिका का विकास किया जाएगा और इसे आगे भी बनाये रखा जाएगा। निर्धारित मानकों के भीतर प्रदूषण बनाये रखने के लिये परिवेशीय वायु गुणवत्ता की निगरानी नियमित रुप से की जाएगी। ध्वनि स्तर को कम करने के लिये नियमित अंतराल में मशीनो का रख–रखाव, आयलिंग एंव ग्रीसिंग की जायेगी स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराये जाने हेतु उद्योग में 33 प्रतिशत (1.45 हेक्टेयर) ग्रीन बेल्ट विकसित किया जाएगा। उद्योग स्थापना हेतु जारी टर्म्स ऑफ रिफरेन्सेज में आरोपित शर्तो का अक्षरशः अनुपालन किया जाएगा।

उद्योग के पर्यावरणीय परामर्शी द्वारा अवगत कराया गया कि पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण हेतु समुचित व्यवस्था परियोजना में समावेशित है। पर्यावरण के सभी घटकों जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण इत्यादि का ऑकलन करते हुये सम्बन्धित प्रदूषण के नियंत्रण हेतु समुचित प्रस्ताव पर्यावरण अधिप्रभाव मूल्याकंन आख्या (इन्वायरमेन्ट इम्पैक्ट असेसमेन्ट रिपोर्ट) में दिये गये है, इस प्रकार पर्यावरण अधिप्रभाव मूल्याकंन रिपोर्ट के अनुसार परिवेशीय वातावरण में कोई दुष्प्रभाव पड़ने की सम्भावना नही है।

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि एवं क्षेत्रीय जनता से परियोजना के सम्बन्ध में आवश्यक सुझावों/आपत्तियो हेतु आग्रह किया गया। लोक सुनवाई स्थल पर उपस्थित क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि एवं जन सामान्य तथा किसानों द्वारा पूछे गये प्रश्नों एवं सम्बन्धित द्वारा उक्त प्रश्नों का प्रस्तुत उत्तर तालिका में निम्नवत् है–

क्र0सं0	प्रश्नकर्ता का नाम व पता	प्रश्न	उत्तर
	श्री इन्द्रपाल, आंवला, बरेली	मैसर्स इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि0 (बल्क पेट्रोलियम डिपो), नूरपुर, तहसील आंवला, जिला बरेली द्वारा हमारे गांव का विकास व रोजगार हम लोगों को दिया जायेगा?	उद्योग के श्री नीलेश अग्रवाल, पर्यावरणीय परामर्शी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित प्लान्ट में सीपीपीएफ फण्ड से गांव का विकास कराने में सक्षम होंगे।
	श्री गोपाल स्वरूप, आंवला, बरेली	उद्योग द्वारा क्या–क्या खतरा हो सकता है?	पर्यावरणीय परामर्शी द्वारा अवगत कराया गया कि हमारी इकाई द्वारा वॉटर टैंक की स्थापना की गयी है। जिससे कोई खतरा नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा पूछा गया कि उद्योग में औद्योगिक प्रकिया में प्रयुक्त जल को रिसाइकिल करने के पश्चात क्या किया जायेगा? उद्योग के पर्यावरणीय परामर्शी द्वारा अवगत कराया गया कि औद्योगिक प्रकिया में प्रयुक्त जल को रिसाइकिल कर शतप्रतिशत औद्योगिक प्रकिया में पुनः प्रयोग किया जायेगा। औद्योगिक प्रकिया से किसी भी प्रकार का उत्प्रवाह उद्योग परिसर के बाहर निस्तारित नही किया जायेगा।

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियत्रण बोर्ड, बरेली द्वारा पूछा गया कि इकाई में ग्राउन्ड वाटर रिचार्ज हेतु समस्त रूफ के रेन वाटर को हार्वेस्टिंग करने तथा रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लान्ट की स्थापना का क्या प्रभाव है? श्री कपिल देव, डिपो मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि इकाई

में समस्त रूफ जल संग्रहण कर ग्राउन्ड वाटर रिजार्च हेतु उचित क्षमता का रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित किया जायेगा, साथ ही 33 प्रतिशत भू–भाग पर हरित पट्टिका विकसित किये जाने का प्रस्ताव भी है।

लोक सुनवाई की अध्यक्षता कर रहे श्री सुल्तान अशरफ सिद्दीकी, एस0एल0ए0ओ0 महोदय द्वारा उद्योग के विरूद्ध प्रदूषण के सम्बन्ध में प्राप्त आपत्तियों को निस्तारित करते हुये अवगत कराया गया कि परियोजना द्वारा प्रदूषण नियंत्रण हेतु अत्याधुनिक मशीनों की व्यवस्था की जायेगी। उद्योग से प्रदूषण की सम्भावनाये नगण्य होगी।

बैठक में उपस्थित जन सामान्य एवं जन प्रतिनिधियों द्वारा परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने तथा परियोजना की स्थापना का पुरजोर समर्थन किया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनसामान्य से सुझाव/आपत्तियों हेतु पुनः अनुरोध किया गया। साथ ही परियोजना की स्थापना के पक्ष में जन सामान्य एवं जन प्रतिनिधियों से समर्थन/विरोध हेतु कहा गया। **उपस्थित जन सामान्य द्वारा परियोजना की स्थापना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का सर्व सम्मति समर्थन किया गया।**

अन्त में क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली द्वारा एस0एल0ए0ओ0 महोदय एवं उपस्थित जन समूह के प्रति आभार एवं धन्यवाद प्रकट करते हुये अध्यक्ष महोदय की अनुमति से लोक सुनवाई का समापन किये जाने का अनुरोध किया गया।

अध्यक्ष महोदय एवं लोक सुनवाई में उपस्थित स्थानीय जनसामान्य एव जन प्रतिनिधियों की सर्वसम्मति से परियोजना की स्थापना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति एवं स्थापना हेतु समर्थन करते हुये लोक सुनवाई की प्रकिया के समापन की घोषणा की गयी।

क्षेत्रीय अधिकारी
उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
बरेली

12/X/18
विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
(अपर जिलाधिकारी स्तर),
बरेली